जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
61/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 61/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

19–12–2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल आज उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस पूर्व में दिनांक 06.12.2016 को सुनी जा चुकी है।

अपीलार्थी का कथन था कि उसके द्वारा जिस प्रकार से सूचनांए चाही गयी थी उस प्रकार से उसे उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. आपके कार्यालय के पत्रांक 11837 दिनांक 15.04.15(द्वितीय अपील संख्या 5372/14 राधेश्याम गोयल बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर) में जारी की प्रमाणित प्रतिलिपि व सूचना
2. प्रार्थी द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 11.06.14 को जो आपके पत्रानुसार अवलोकन किया गया है उस अवलोकन के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अति. जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर की टिप्पणी एवं रिकार्ड चाहे जाने पर उनके द्वारा पत्र दिनांक 07.04.16 सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को टिप्पणी एवं संबंधित अभिलेख इस अपील में प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया गया।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास) श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 1490 दि0 04.05.16 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना उनके कार्यालय के पत्र संख्या 183 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा प्रार्थी को पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 183 दि0 12.02.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर प्रेषित किया गया हैः–

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त सूचना के संबंध में लेख है किः–

1. बिन्दू सं0 1 में वर्णित पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (दो पृष्ट) प्राप्त करने हेतू निर्धारित शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से इस कार्यालय में जमा करावे ताकि सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको उपलब्ध करवाई जा सके।

2. बिन्दु संख्या 2 के तहत चाही गई सूचना के संबंध में आपको अवगत करवाया जाता है कि आप द्वारा उक्त प्रकरण में अवलोकन हेतु प्रस्तुत कोई प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतू आवेदन कर सकते है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

61/2016

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 की दो पृष्टो की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से राशि जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनने के लिए उक्तानुसार लिखा गया है। अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 की दो पृष्टो की सूचना के लिए उक्तानुसार 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए।

बिन्दु सं0 2 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है उससे संबंधित अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लौक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 12.02.2016 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 19.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर